इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2023—फाल्गुन 19, शक 1944

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2023

क्र. एफ. IPI-5-001-2023-ए-ग्यारह.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 19-9-2023-एक-4, दिनांक 9 मार्च 2023 द्वारा मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 की कंडिका 4 के अन्तर्गत निम्नानुसार उल्लेखित राज्यस्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है :—

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव / सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पो. लि.	सदस्य-सचिव

2. राज्यस्तरीय साधिकार समिति को निम्नलिखित कार्यवाहियां करना अपेक्षित होंगी :—

(क) समिति उक्त अध्यादेश, 2023 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों को प्रस्तावित करेगी.

(ख) औद्योगिक इकाइयों को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता करेगी.

(ग) किसी औद्योगिक इकाई और सक्षम प्राधिकारी के मध्य विवाद, यदि कोई है, का सौहाद्रपूर्ण समझौता सुकर बनायेगी.

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्य का निर्वहन करेगी जैसे कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा समनुदेशित किए जायें.

3. उक्त समिति यथासमय बैठक आयोजित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2023

क्र. एफ. IPI-5-001-2023-ए-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 की कंडिका 4 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ. 19-9-2023-एक-4, दिनांक 9 मार्च 2023 द्वारा जारी राज्य स्तरीय साधिकार समिति के गठन के आदेश का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th March 2023

No. F IPI-5-001-2023-A-XI.—Vide General Administration Department order No. 19-9-2023-1-4-dated 9th March 2023 The State Government by notification under section 4 of the Madhya Pradesh Udyogon ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhyadesh, 2023 hereby constitutes the State Level Empowered Committee, comprising of the following members :—

1.	Chief Secretary	Chairman
2.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Technical Education, Skill Development & Employment Department.	Member
3	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Department of Industrial Policy & Investment Promotion.	Member
4.	Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Department of Science & Technology.	Member
5.	Principal Secretary / Secretary, Micro, Small & Midium Enterprise Department.	Member
6.	Managing Director, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd.	Member Secretary

2. The State Level Empowered Committee shall,—

(a) Committee shall propose areas to be notified under section 3 of Ordinance 2023;

(b) assist industrial units to obtain Acknowledgement Certificate;

(c) facilitate amicable settlement of disputes, if any, between an industrial unit and any Competent Authority;

(d) the government may assign such other powers and functions to the State Level Empowered Committee as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

3. The meeting of the Committee shall be organized from time to time.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. K. BARONIA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.